

न्यायालय उप तहसीलदार सिंधाना जिला झुन्झुनुं (राज0)
क्रमांक 21/2019 किरम मुकदमा रज्जु दिनांक निर्णय दिनांक
धारा 91 एल.आर.एक्ट 26.06.2019 22.08.2019

उनवान सरकार बनाम मातादीन पुत्र नुन्दा जाति गुर्जर निवासी नई भोदन तहसील
बुहाना जिला झुन्झुनुं (राज0)

—: निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का थली ने सम्वत 2075 में इस आशय की रिपोर्ट
प्रस्तुत की है कि ग्राम नई भोदन की राजकीय भूमि ख0 न0 571 कुल रकबा 08.41 है0 किरम
गै0मु0 चोक (0.96), गै0मु0 जोहड(7.45) भूमि मे से 0.15 है0 भूमि पर अतिक्रमी मातादीन पुत्र
नुन्दा जाति गुर्जर निवासी नई भोदन ने अवैध रूप से चारदीवारी व मकान बनाकर अनाधिकृत
रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी
को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर
तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी उपस्थित रहा।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा
किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमो के अनुरूप है। अतिक्रमी
द्वारा राजकीय भूमि में चारदीवारी व मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये
जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से
बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से चारदीवारी व मकान
बनाकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शुदा भूमि के ख0 न0 571 लगान 1.00 की 50
गुणा जुर्माना राशि 50/- बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0 अ0 निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा
कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत
भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील
दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2019 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

7
30

उप तहसीलदार सिंधाना

R. G. Singh